~~पेश किया~~। ...

पत्रावली वास्ते पूर्वा० ... 22/2/26 को पेश हो।

17.02.26 वकुलाए फरीकेन उपस्थित। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 06.03.26 को पेश हो।

6/3/26 वकुलाए फरीकेन उपस्थित। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 13/3/26 को पेश हो।

13/3/26 वकुलाए फरीकेन उप० PO साहब अन्य ... में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/4/26 को पेश हो।

10/4/26 प्रा० पत्र मूल प्रा० पत्र धारा 28A RTA के संलग्न पेश हुआ। प्रा० पत्र मे दिनांक 20/2/26 को प्रा० पत्र० 39 R4 CPC पेश हुआ था, जो सहवन से मूल प्रा० पत्र धारा 28A RTA मे शामिल कर लिया गया था। अतः प्रा० पत्र 039 R4 CPC पत्रावली के शामिल किया जाता है। अधि० प्रार्थी ने जवाब प्रा० पत्र 039 R4 CPC पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र 039 R4 CPC दिनांक 17/4/26 को पेश हो।

46 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 10.04.2026 को प्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं.आ. 23 नियम 1 सीपीसी रिकार्ड पर लिया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया तर्कसंगत होने के कारण न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र मुताबिक संशोधन हो। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पुर्व में सुनी जा चुकी है। मुताबिक बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इकरारनामा के संदर्भ में कथन है कि इकरारनामें द्वारा रास्ते की भूमि का अंतरण इस स्तर पर निर्धारित किया जाना तर्कसंगत नहीं है। अतः उक्त निर्धारण मुल प्रार्थना पत्र के साथ ही निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 6 सदभावी विक्रेता है, अतः नामान्तरण दर्ज किया जाना अपेक्षित है। दूसरी तरफ इस बिन्दू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रार्थीगण रास्ते का उपयोग सदामत से करते आ रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण उक्त रास्ता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अतः प्रार्थना पत्र अं.आ. 39 नियम 4 सीपीसी एंव प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के संदर्भ में आदेश दिए जाते हैं कि इकरारनामें द्वारा रास्ते की भूमि का अंतरण मूल प्रार्थना पत्र के साथ ही निधारित किया जाएगा। अप्रार्थी सख्या 6 नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही अप्रार्थीगण सदामत से चले आ रहे रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पत्रावली फैसला शुमार नंबर से कम की जाकर मूल प्रार्थना पत्र के संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया